राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–17/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/119
दायर दिनांक– 10.7.2024
निर्णय दिनांक–30.10.2024

उनवानी–

1. काना पुत्र भोलू
2. सुजा पुत्र भोलू
3. हेमा पुत्र भोलू
4. झूमा देवी पुत्री भोलू
5. खुमाराम पुत्र पूषा
6. बिरम राम पुत्र पूषा
7. मगनी पुत्री पुषा
8. सायरी पुत्र पूषा
   सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम रामनगर तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर ––प्रार्थीगण

बनाम

1. आसी पत्नि रूपा
2. रतनलाल पुत्र रूपा
3. राकेश जाट पुत्र रूपा
4. देवकरण पुत्र चौथू
5. सुखदेव पुत्र चौथू
6. अमरचंद आंवला पुत्र बीरमराम आंवला
7. कमला देवी पत्नि दाना राम
8. गोगली देवी पत्नि नानू राम
9. छोटा देवी पत्नि पुखराज
10. परमाराम पुत्र रामेश्वर
11. राजेन्द्र आंवला पुत्र खुमाराम आंवला
12. रामनिवास आंवला पुत्र बिरमाराम आंवला
13. लिखमाराम पुत्र काना
14. शांति देवी पत्नि कुन्दनमल
15. हनुमान राम पुत्र सूरजकरण
    सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम रामनगर तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर –अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:26:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम [illegible] पटवार हल्का निटूटी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ के खसरा0 572/[illegible] क्षे[illegible] 1.7150 है0 में संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा [illegible] प्रार्थीगण [illegible] काश्त करता चला आ रहा है। [illegible] उत्तर दिशा में प्रार्थी संख्या 5 से 8 की भूमि, पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की भूमि, पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या [illegible] 15 की भूमि व सरकारी भूमि लगी हुई है। दक्षिण दिशा में सरकारी भूमि [illegible] सीमा लगी हुई है इस [illegible] पक्षकार के रूप दर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 के द्वारा आये दिन अनावश्यक हस्तक्षेप कर विवाद उत्पन्न करते है, लड़ाई झगड़ा करते है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की

Mahima
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

नींव सींव मेड़ को लेकर व्यवधान करते है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 तक के द्वारा आये दिन सींव को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है। अप्रार्थी संख्या 16 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनया गया है एवं मृतक कानी पत्नि भोलू के वारिसान प्रार्थी संख्या 1 से 8 पहले से प्रार्थीगण के रूप में दर्ज है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 16 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रामनगर के ख0न0 572/245 क्षेत्रफल 1.7150 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर किसी प्रकार का वाद–विवाद ना हो तो नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Mahima
उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)
महिमा कसाना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:26:03 IST
Reason: SelfAttested